किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

2.1 अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी

भारत सरकार ने 0–18 वर्ष के विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के लिए नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू किया है। इस नवीन कानून के माध्यम से पूर्व के किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त कर दिया गया है। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 15 जनवरी, 2016 से पूरे देश में प्रभावी किया है। ***इस कानून को विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विशेष कानून का दर्जा दिया गया है।*** इस कानून को कुल 112 धाराएं एवं 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है ।

उद्देष्य :–

- **अधिनियम की प्रक्रिया के तहत् बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना**
- अधिनियम का उद्देश्य बाल मैत्री वातावरण का निर्माण करना ।
- विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए समुचित न्याय एवं कल्याण सुनिश्चित करना ।
- देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करना ।
- विभिन्न तरह की हिंसा/शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ।

अधिनियम में उक्त प्रयोजन हेतु कानून में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रकियाएं, बाल संरक्षण सेवाओं, संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान किया गया है ।

सिद्धांत :– 1. इस कानून के तहत् सभी बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किए गए है, जो कि निम्न है :–

- बच्चे के अपराध की निर्दोषिता, गरिमा और योग्यता, सहभागिता
- सर्वोत्तम हित,
- परिवार की जिम्मेदारी,
- सुरक्षा, सकारात्मक उपाय,
- गैरकलंकनीय भाषा का प्रयोग (जैस–बाल अपराधी न कहकर विधि विरूद्ध शब्द का उपयोग किया जाएगा) ।
- समानता और भेदभाव न करना,

- गोपनीयता का अधिकार (बच्चों की पहचान प्रकट न करना) ।
- संस्थागत देखभाल अन्तिम विकल्प,
- नये सिरे से शुरूआत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन ।

उक्त सभी सिद्धांतो का पालन प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में कार्यवाही एवं प्रक्रिया के दौरान सभी प्राधिकरण/संस्थाओं एवं व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा ।

अधिनियम, 2015 के मुख्य प्रावधान :–

विधि से संघर्षरत अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संदर्भ में इस कानून में सुधारात्मक प्रक्रियाओं के साथ–साथ विशेष परिस्थितियों में दण्ड़ात्मक व्यवस्था के प्रावधान किए गए है। ऐसे बालक–बालिकाएं जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तथा अपराध के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, को विधि से संघर्षरत बालक माना गया है। कानून में छोटे अपराध (जिनमें 3 वर्ष तक की सजा है), गम्भीर अपराध (जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा है) एवं जघन्य अपराध (जिनमें 7 वर्ष इससे अधिक की सजा है) को परिभाषित किया गया है ।

अधिनियम के तहत विधि विरूद्ध बच्चों के संबंध में प्रावधान

- प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान ।

किशोर न्याय बोर्ड – तीन सदस्यों की एक न्यायपीठ ।

संरचना –

- एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एवं दो सामाजिक कार्यकर्ता ।
- व्यक्ति/सदस्य को बाल कल्याण के क्षेत्र में 7 वर्ष का कार्यानुभव ।

शक्तियां– प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां ।

- किन्ही परिस्थितियों में 16 से 18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में जांच एवं विचारण का कार्य – बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) द्वारा ।
- बच्चों को अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य ।
- पुलिस द्वारा निरूद्ध विधि से संघर्षरत बच्चे के बारे में तत्काल अभिभावक या संरक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करना ।
- ऐसे बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण के दौरान प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रियाओं के तहत् कार्यवाही करना ।
- बच्चे के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना ।

- बच्चों को जमानती अथवा गैर जमानती अपराध में पुलिस थाने/किशोर न्याय बोर्ड के स्तर पर जमानत दिये जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किये गये है ।
- प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में बोर्ड के कम से कम 2 सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय ही मान्य होगें ।
- ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा उनके द्वारा कोई छोटे या गम्भीर अपराध किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों का निस्तारण संबंधित बोर्ड द्वारा ही किया जायेगा ।
- छोटे अपराध में संलिप्त विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों का निस्तारण अधिकतम 4 से 6 माह में किया जायेगा अन्यथा वे प्रकरण स्वतः ही समाप्त माने जायेगें।
- ऐसे बच्चे जो कि 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा उनकी आयु 18 वर्ष के कम है, के द्वारा कोई जघन्य अपराध किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों के सहयोग से 3 माह के अन्दर आवश्यक प्रारम्भिक आंकलन किया जायेगा । तद्पश्चात ऐसे प्रकरणों में स्वयं के स्तर पर यह निर्णय लिया जायेगा कि जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चे का प्रकरण बोर्ड द्वारा ही निस्तारित किया जावे कि इसे अग्रिम जांच विचारण के लिए संबंधित बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) को हस्तांतरित किया जाए । ऐसे प्रकरणों में संबंधित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) की अहम भूमिका रहेगी।
- किशोर न्याय बोर्ड में लम्बित प्रकरणों की स्थिति की 3 माह में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 6 माह में अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की समिति के स्तर पर समीक्षा की जायेगी।
- किशोर न्याय बोर्ड को विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण के अतिरिक्त बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करने का दायित्व सौंपा गया हैं।
- किशोर न्याय बोर्ड जिले में संचालित जेलों का निरीक्षण कर वहां पर विचाराधीन विधि से संघर्षरत बच्चों की पहचान कर उन्हें सम्प्रेक्षण गृह में हस्तान्तरित करने का कार्य भी करेगा।
- बच्चे, जिनके प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है, के लिए बाल देखरेख संस्था के रूप में शासकीय अथवा गैर शासकीय संप्रेक्षण गृह तथा सुरक्षित अभिरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- जिन प्रकरणों का बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया है, तथा विधि से संघर्षरत बच्चे को अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए गए है, उन बच्चों के लिए विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा गृह की व्यवस्था की गई है।

- 16 से 18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चे, जिनके प्रकरण बाल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, के लिए सुरक्षित अभिरक्षा गृह तथा जिनके प्रकरणों को बाल न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया है, वहां पर बच्चों को सुरक्षित अभिरक्षा गृह/जेल में रखने का प्रावधान किया गया है।
- विधि से संघर्षरत बच्चे के प्रकरण के निस्तारण के समय किशोर न्याय बोर्ड कानून में निर्धारित 7 तरह के आदेशों में से कोई भी 1 उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।
- 16 से 18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चे, जिनके प्रकरण बाल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, का आपराधिक रिकार्ड संधारित किया जा सकेगा।
- किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध 30 दिवस के अन्दर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इसी प्रकार बाल न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी ।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे –

कानून की धारा 2 (14) में 18 वर्ष से कम उम्र के 12 श्रेणी के बालक–बालिकाओं को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। इस श्रेणी में निम्न बच्चे शामिल है :–

- घर से भागे हुए बच्चे
- सड़क पर रहने वाले बच्चे ।
- भीख मांगने वाले बच्चे ।
- बाल श्रमिक,
- उपेक्षित, शोषित, शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग तथा किसी अन्य असाध्य रोग (एच.आई.वी.एड्स/केन्सर इत्यादि) से ग्रसित बच्चे,
- अनाथ, परित्यक्त, समर्पित,
- गुमशुदा बच्चे,
- नशे से प्रभावित बच्चे,
- हिंसा से पीड़ित बच्चे,
- बाल विवाह से प्रभावित,
- सशस्त्र संघर्ष सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चे सम्मिलित है।

1. कानून में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु जिला **बाल कल्याण समिति** सक्षम प्राधिकारी है। ऐसे बच्चों के प्रकरणों में जांच, सुनवाई एवं बच्चों के पुनर्वास के संदर्भ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है ।
2. प्रत्येक बाल कल्याण समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होंगे । बाल कल्याण समिति को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।
3. बाल कल्याण समिति में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को बाल कल्याण के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव एवं निर्धारित योग्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा ।
4. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को कोई भी प्राधिकारी/चाईल्ड लाइन (1098)/स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति द्वारा अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
5. कोई भी प्राधिकारी/संस्था/अस्पताल/नर्सिंग होम/व्यक्ति जिसे कोई भी परित्यक्त, गुमशुदा अथवा अनाथ बच्चा मिलता है, तो उसे अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर चाइल्ड लाईन (1098)/पुलिस/बाल कल्याण समिति/पंजीकृत गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर अपराध माना जावेगा तथा **ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 6 माह की सजा अथवा 10,000 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–34)**
6. बाल कल्याण समिति/पंजीकृत गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे की सूचना भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच की जायेगी। जांच लम्बित रहने अथवा बच्चे के पुनर्वास होने तक बच्चे को किसी पंजीकृत बाल देखरेख संस्था में रखा जायेगा।
8. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में बाल कल्याण समिति स्वविवेक से प्रसंज्ञान लेकर भी कार्यवाही कर सकेगी।
9. बाल कल्याण समिति को प्रत्येक माह में 20 दिवस बैठकें आयोजित करना आवश्यक होगा।
10. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के प्रकरण के निस्तारण के समय बाल कल्याण समिति कानून में निर्धारित 8 तरह के आदेशों में से कोई भी 1 उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।
11. अनाथ अथवा परित्यक्त बच्चों के प्रकरणों में बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच उपरान्त उसे दत्तक ग्रहण हेतु विधिमुक्त किया जा सकेगा।

12. मानसिक विमंदित माता के बच्चे अथवा यौन हिंसा से जन्में बच्चे को भी बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिमुक्त किया जा सकेगा।
13. किन्हीं अभिभावक अथवा संरक्षक द्वारा शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक कारणों से बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर कानूनी रूप से समर्पित किया जा सकेगा। संबंधित अभिभावक अथवा संरक्षक को इस निर्णय के संबंध में 2 माह का पुर्नविचार का समय दिया जायेगा।
14. अनाथ अथवा परित्यक्त बच्चों के प्रकरणों में बच्चे के जैविक माता–पिता के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जायेगा।
15. लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के तहत् पीड़ित बच्चों के पुनर्वास की कार्यवाही भी संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा ही की जायेगी।
16. बाल कल्याण समिति का यह दायित्व है कि वह देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
17. किसी भी प्रकरण के निस्तारण के दौरान समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय ही मान्य होंगे।
18. प्रत्येक बाल कल्याण समिति तथा बाल देखरेख संस्था दायित्व है कि वे बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप उसके समुचित पुनर्वास एवं समाज में पुनर्समेकन सुनिश्चित करें।
19. जिला मजिस्ट्रेट संबंधित बाल कल्याण समिति के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगें। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा त्रैमासिक स्तर पर समिति के कार्यो की समीक्षा भी की जायेगी।
20. बाल कल्याण समिति के निर्णय के विरूद्ध 30 दिवस के अन्दर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, परन्तु फोस्टर केयर, प्रायोजकता एवं आफ्टर केयर से संबंधी अपील संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

बच्चों के विरूद्ध अपराध की रोकथाम–

1. कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका या ऑडियो–वीडियो मीडिया या अन्य कोई संवाद के माध्यम के द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे अथवा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे अथवा पीड़ित बच्चे अथवा साक्षी बच्चे के संबंध में जांच, अन्वेक्षण या न्यायिक कार्यवाही के तहत् बच्चे की पहचान यथा बच्चे का नाम, पता व फोटो या अन्य विवरण का उजागर/प्रकाशन करता है, **तो संबंधित व्यक्ति को 6 माह तक की सजा तथा 2.00 लाख रूपये तक का जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–74)**

2. जो बच्चे का संरक्षक है, द्वारा बच्चे पर प्रहार/हमला किया जाता है या परित्याग किया जाता है या उत्पीड़न किया जाता है या जान–बूझकर बच्चे की उपेक्षा की जाती है परित्याग या उत्पीड़न करवाता है, जिससे बच्चे को शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। यदि ऐसी हिंसा/क्रूरता किसी संस्था के व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जो उसकी सुरक्षा एवं देखभाल के उत्तरदायी है, **तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–75)**
3. कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भींख मंगवायेगा, **तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–76 (1))**
4. कोई भी व्यक्ति जो बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करता है, के द्वारा बच्चे से भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भींख मंगवाने दुष्प्रेरण करता है, **तो उसे बच्चे की देखभाल एवं पालन–पोषण के लिए योग्य/उपयुक्त नहीं माना जायेगा। (धारा–76 (2)**
5. कोई भी व्यक्ति बिना किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश पर सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देता है या दिलवाता है, **तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–77)**
6. कोई भी व्यक्ति नशीली शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा तस्करी में बच्चे का उपयोग करेगा, **तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–78)**
7. कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए बच्चे को अपने पास रखता है या बंधुआ रखता है या उसकी आय को रोकता या स्वयं के लिए उसका उपयोग करता है, **तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की कठोर सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–79)**
8. कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बच्चे को दत्तक ग्रहण/गोद देने की प्रक्रिया के बिना बच्चे को देने का प्रस्ताव रखता या देता है या प्राप्त करता है, **तो उस व्यक्ति या संस्था को अधिकतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–80)**
9. कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को प्राप्त करता है या खरीदता है या बेचता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा

सकेगा। यदि ऐसा कार्य बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रणकर्ता के द्वारा अथवा अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र के कर्मचारी द्वारा किया जाता है, **तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–81)**

10. किसी बाल देखरेख संस्था में बच्चे का वास्तविक प्रभारकर्ता अथवा संस्था में कार्यरत कर्मचारी द्वारा बच्चे को अनुशासित करने के लिए जान–बूझकर शारीरिक दण्ड दिया जाता है, **तो उसके प्रथम अपराध पर 10,000 रूपये का जुर्माना तथा इस प्रकार की घटना/अपराध की पुनरावृत्ति करने पर उसे अधिकतम 3 माह की सजा तथा जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–82 (1)**
11. बाल देखरेख संस्था द्वारा संस्था में बच्चों को शारीरिक दण्ड देने की घटना में संबंधित जांच में सहयोग नहीं दिया जाता है या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, **तो संस्था के प्रभारी को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–82 (1)**
12. केन्द्र सरकार द्वारा गैर राजकीय स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल के रूप में पहचान किए गए समूह या दल द्वारा किसी भी कार्य के लिए बच्चों को भर्ती/नियुक्त किया जाता है या उपयोग करता है, **तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है । (धारा–83 (1)**
13. किसी वयस्क व्यक्ति या वयस्क समूह द्वारा गैरकानूनी कार्य के लिए स्वयं के स्तर पर अथवा गैंग के रूप में बच्चे का उपयोग किया जाता है, **उस व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है । (धारा–83 (2))**
14. उपरोक्त में से कोई भी अपराध किसी भी विकलांग बच्चे पर किया जाता है तो उसे अपराध की निर्धारित सजा से दुगुनी सजा से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–85)
15. उपरोक्त में से कोई भी अपराध दुष्प्रेरण (बहकाना/उकसाना) के फलस्वरूप घटित हो जाता है, **तो ऐसे दुष्प्रेरक व्यक्ति को भी अपराध की निर्धारित सजा से दण्डित किया जायेगा। (धारा–87)**
16. उपरोक्त बच्चों के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों का विचारण निम्मानुसार वर्णित न्यायालयों द्वारा किया जायेगाः–
    - ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, या केवल जुर्माने का प्रावधान है वे गैर संज्ञेय, जमानती होंगे, जिनका विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

- ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वे संज्ञेय, गैर जमानती होंगे, जिनका विचारण प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, वे संज्ञेय, गैर जमानती होंगे, जिनका विचारण बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) द्वारा किया जायेगा।

संस्थागत सेवाएं –

1. विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित अभिरक्षा गृह तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राजकीय अथवा गैर राजकीय बाल गृह, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, फिट फैसेलिटी तथा ओपन शेल्टर स्थापित/संचालित किए जायेगें।
2. प्रत्येक बाल देखरेख संस्था में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समस्त आवश्यक देखभाल, शिक्षण, जीवन कौशल एवं कौशल विकास इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
3. कानून के अंतर्गत प्रत्येक राजकीय/गैर राजकीय (स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित) बाल देखरेख संस्था को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
4. कानून के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बिना पंजीयन के बाल देखरेख संस्था का संचालन करना अपराध होगा। ऐसी स्थिति में संस्था प्राधिकारी व्यक्ति को 1 साल की सजा तथा कम से कम 1.00 लाख रूपये का जुर्माना से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–42)
5. कानून के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था के पंजीयन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी द्वारा 6 माह में कार्यवाही नहीं करने पर उसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है तथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। (धारा–41 (5))

गैर सस्थागत सेवाएं–

दत्तक ग्रहण (गोद देना)

1. कानून के तहत् अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों को परिवार उपलब्ध कराने के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम कियान्वित किया जायेगा।
2. अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों का देश के अन्दर या देश के बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी कार्यवाही इसी कानून के तहत् की जायेगी।
3. अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण में हिन्दू गोद देने और रखरखाव अधिनियम, 1956 लागू नहीं होगा।
4. किसी बच्चे का देश के अन्दर या देश के बाहर नजदीकी रिश्तेदार में दत्तक ग्रहण संबंधी कार्यवाही भी इसी कानून के तहत् की जायेगी।

5. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दिशा–निर्देशों के तहत् दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जायेगी।
6. देश के बाहर रहने वाले भारतीय या भारत में जन्मे विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को देश के बाहर दत्तक ग्रहण में वरीयता दी जायेगी।
7. जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आवश्यक आदेश पारित करने के उपरान्त ही दत्तक ग्रहण वैध माना जायेगा। न्यायालय को ऐसे प्रकरणों का इन–कैमरा ट्रायल के माध्यम से अधिकतम दो माह में निस्तारण करना आवश्यक होगा।
8. प्रत्येक जिले में बच्चों के दत्तक ग्रहण करने के लिए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियां स्थापित की जायेगी।
9. जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में आवासरत दत्तक ग्रहण हेतु योग्य बच्चों का भी दत्तक ग्रहण के लिए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियां अधिकृत होगी।
10. राज्य में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने तथा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने का कार्य राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सारा) द्वारा किया जायेगा।

फोस्टर केयर (पालन–पोषण देखभाल)

1. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन–पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए फोस्टर केयर (पालन–पोषण देखभाल) सेवाओं से जोडा जायेगा।
2. फोस्टर केयर (पालन–पोषण देखभाल) में लाभान्वित बच्चे की देखभाल के लिए फोस्टर पेरेन्ट्स को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मासिक स्तर पर आवश्यक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रायोजकता सेवाएं

1. ऐसे अनाथ बच्चे, जिनकी देखरेख किसी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा की जा रही है, अथवा जिन बच्चों के माता–पिता किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित है अथवा विधवा/परित्यक्त/तलाकशुदा महिला के बच्चों को राज्य सरकार की ओर से प्रायोजकता सेवाओं के तहत् निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

आफ्टर केयर (पश्चातवृति देखभाल)

1. प्रत्येक बालक जो बाल देखरेख संस्था से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त बाहर जा रहा है, उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।